आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री तारेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावे में वकालत नामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30–9–2019 को पेश हो। तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि बढाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

30–09–19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रार्थी की ओर से श्री तारेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 19–3–19 को उपस्थिति दी थी किन्तु आज तक वकालता नामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15–3–19 के सम्मन पर अंकित किया है कि दशरथ सिंह पूर्व में ही फौत हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी दशरथसिंह का देहान्त हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15–2–19 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)